प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 14.01.2025

प्रेस नोट दिनांक 14.01.2025
थाना- संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना संग्रामगढ़ के आरक्षी रामनरेश जाट ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

आरक्षी रामनरेश जाट ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये आरक्षी हरिपाल को दिया जाएगा प्रशस्ति- पत्र , नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु संबंधित को दिये गये निर्देश

गंगा एक्सप्रेस वे पुल की नीचे सौना सरैया के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गैंगेस्टर मसरूर आलम पर गोवध, पशु क्रूरता व गैंगस्टर एक्ट के अभियोग, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ में दर्ज हैं ।

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

-इसी क्रम में थाना संग्रामगढ़ के बहादुर आरक्षी रामनरेश जाट के सहयोग से दिनांक 14-01-2025 को थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 03/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में वांछित अभियुक्त मसरूर आलम पुत्र मो० मिया निवासी अहमदपुर उपरहार थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेस वे पुल की नीचे सौना सरैया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- मसरूर आलम पुत्र मो० मिया निवासी अहमदपुर उपरहार थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास-
- मसरूर आलम पुत्र मो० मिया निवासी अहमदपुर उपरहार थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 15/2022 धारा 3/ 5ए/ 8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 03/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-14.01.2025
थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
गिरफ्तार 02 अभियुक्तों के पास से छिनैती का 9500 रुपये, पर्स व एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, आधार कार्ड की छाया प्रति बरामद।
अभियुक्तों को थाना महेशगंज क्षेत्रांतर्गत दयाल का पुरवा के पास स्थिति नहर पटरी रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक-11.01.2025 को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत दयाल का पुरवा ग्राम गिस्था के पास गाड़ी ओवर टेकिंग करने को लेकर वादी को आरोपीगणों द्वारा मारपीट कर फिरौती मागने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी में जबरन उठा ले जाने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 06/25 धारा 140(2), 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महेशगंज उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह उ0नि0 शिवाप्रजापति, का0 विनय कुमार, का0 रामप्रकाश, कां0 विपिन द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों विदित नारायण शुक्ल पुत्र धर्मेन्द्र शुक्ल उम्र करीब 19 वर्ष व आदित्य नारायण शुक्ल उर्फ वैभव शुक्ला पुत्र धर्मेन्द्र शुक्ल निवासी कोटा भवानीगंज थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रांतर्गत दयाल का पुरवा के पास स्थिति नहर पटरी रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से छिनैती का 9500 रुपये वादी का पर्स व एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, आधार कार्ड की छाया प्रति बरामद किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 06/25 धारा 140(2), 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय क समक्ष पेश किया जा रहा है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 11.01.25 की शाम को गाड़ी लड़ने के विवाद को लेकर हम लोगो ने अभय सिंह पटेल पुत्र श्री लखराज पटेल निवासी ग्राम जयचन्दपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ व उसके साथी राज सिंह को मारपीट कर व उनको भय में डालकर, उसकी जेब मे रखी पर्स जिसमे रखे 15650 रुपये नगद छीन लिये थे तथा 8900 रुपये मोबाइल फोन में भी ट्रान्सफर कर लिये थे। हम लोगो ने अपहरण के लिये 01 लाख रुपये मांगे थे। लेकिन अभय सिंह द्वारा हम लोगो को पैसे नही दिये गये।

अभियुक्त विदित नारायण शुक्ल उपरोक्त के पास से एक पर्स बरामद हुयी जिसमे कुल 4500 रुपये नगद व वादी मुकदमा के आधार कार्ड की छाया प्रति बरामद तथा एक सफेद रंग का सैमसंग का एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद हुआ पूछने पर बताया कि साहब यह पर्स व उसमें रखा 4500 रुपया अभय सिंह पटेल का है जिसे हम लोगो ने घटना के दिन वादी से छीन लिये थे तथा यह मोबाइल मेरा है इसी मोबाइल पर हम लोगो ने अभय सिंह पटेल के मोबाइल फोन से आनलाइन 8900 रुपये जबरन ट्रान्सफर कर लिया था तथा अभियुक्त आदित्य नारायण शुक्ल उर्फ वैभव उपरोक्त के पास से 5000 रुपये नगद बरामद हुये जिसके बारे में पूछने पर बताया कि साहब यह 5000 रुपया भी अभय सिंह का ही है। जिसको हम लोगो ने घटना के दिन मार पीट कर छीने थे। शेष पैसे हम लोगो से खर्च हो गये है ।

बरामदगीः- छिनैती का 9500 रुपया
पर्स, आधार कार्ड की छाया प्रति
एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन,जिसमें रुपये ट्रांसफर किये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01- विदित नारायण शुक्ल पुत्र धर्मेन्द्र शुक्ल निवासी कोटा भवानीगंज थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़
02- आदित्य नारायण शुक्ल उर्फ वैभव शुक्ला पुत्र धर्मेन्द्र शुक्ल निवासी कोटा भवानीगंज थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह उ0नि0 शिवाप्रजापति, का0 विनय कुमार, का0 रामप्रकाश, कां0 विपिन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 14.01.2024
थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ0नि0 श्री संतोष कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, एसटी नं0 150/2015 मु0अ0सं0 390/12 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि व धारा 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना पट्टी से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त नगीना पुत्र सोहन जोगी निवासी ग्राम नोही थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नगीना पुत्र सोहन जोगी निवासी ग्राम नोही थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री संतोष कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव थाना पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.01.2024
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

स्वाट टीम व थाना जेठवारा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान हत्या कारित करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

01अभियुक्त व 01 नफर बालअपचारी द्वारा रॉड व लोहे के पाइप से मारकर हत्या करने के प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार

मारपीट/गाली गलौज व चिढ़ाने की बात को लेकर की गई थी युवक की हत्या।

थाना जेठवारा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अभियुक्तों को बकुलाही नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

01अभियुक्त व 01 नफर बालअपचारी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद स्टील की सॉकर रॉड, 01 अदद लोहे की रॉड, 01 पैर का चप्पल, 01 जोडी जूता व 01 अदद मोबाइल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.01.2025 को वादिनी निवासी ग्राम महमूदपुर सराय महासिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ के बेटे को ग्राम बछुआ में दूध लेकर वापस आते समय रास्ते में किसी ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर देने के प्रकरण में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0- 02/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा टीमें गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्वेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह मय उ0नि0 श्री गणेशदत्त पटेल, का0 अर्पित त्रिपाठी का० सतीश पाल, का0 आशुतोष चौबे, म०का० प्रीती सिंह, का0 राजीव यादव, का0 पुष्पेन्द्र कुमार व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हे0का0 धनन्जय राय, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय, चालक राजेन्द्र कुमार व उ0नि0 दिनेश सिंह मय हे0का0 मोहित राज यादव, हे0का राजीव कुमार, का0 अरविन्द दूबे चालक राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरन मुखबिर के सूचना पर थाना जेठवारा के मु0अ0सं0- 02/2025 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 01- प्रिंस पटेल पुत्र रामरतन पटेल उर्फ गहरू नि0 महमूदपुर सरायमहासिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को बकुलाही नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया किया गया व 01 नफर निरुद्ध विधि का उल्लंघन करने वाला बालक को बकुलाही नदी पुलिया के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। 01 अभियुक्त व 01 नफर बालअपचारी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद स्टील की सॉकर रॉड, 01 अदद लोहे की रॉड, 01 पैर का चप्पल, 01 जोडी जूता व 01 अदद मोबाइल बरामद। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/238 बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त / बालअपचारी का विवरण-
01- प्रिंस पटेल पुत्र रामरतन पटेल उर्फ गहरू नि0 महमूदपुर सरायमहासिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
02. 01- बाल अपचारी

पूछताछ का विवरणः-
पूछताछ में अभियुक्त प्रिंस पटेल व बाल अपचारी से हत्या के बारे मे पूछा गया तो अपने गलती की माँफी मांगते हुये बताया कि हम दोनों ने ही प्लानिंग बनाकर गाँव के हसन उर्फ कैफ को मार डाला था। क्योंकि कैफ मुझे गाँव के लड़को के सामने जलील करता रहता था। गाली गलौज व मारता पीटता भी था। मुझे मेरे पिता के गवई नाम गहरू लेकर चिढ़ाता था। करीब एक महीने पहले मुझे किसी बात को लेकर मारा भी था। जिससे मैं तंग आकर बदला लेने के लिए हमने उसे जान से मार दिया। हम दोनों ने कैफ को एक लोहे की ठोस रॉड लिया था तथा अनिल पटेल मोटरसाइकिल के अगले साकर की पाइप लिये था। उसी से मारा था। घटना स्थल से घटना के दिन बरामद एक अदद संदिग्ध हवाई चप्पल के बारे मे पूछा गया तो प्रिंस ने बताया कि साहब हवाई चप्पल

मेरी थी। कैफ को मारने के दौरान मेरी उससे हाथापाई हुई थी। जिसमें मेरे दाहिने पैर की चप्पल पैर से निकल गयी थी। तथा दूसरे पैर की चप्पल भागते समय खेत में ही छूट गयी थी। घटना में प्रयुक्त रॉड को बरामद कराने के बारे में तो बताया कि कैफ को मारने के बाद हम दोनों पीछे खेत की ओर भागे थे। हम दोनों ने सरसों के खेत से निकलने के बाद भागते हुए गेहूँ के खेत मे फेक दिया था।

बरामदगी-

01- 01 अदद स्टील की सॉकर रॉड

02- 01 अदद लोहे की रॉड

03- 01 पैर का चप्पल

04- 01 जोडी जूता

05- 01 अदद मोबाइल बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्रभारी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह मय उ0नि0 श्री गणेशदत्त पटेल, का0 अर्पित त्रिपाठी का० सतीश पाल, का0 आशुतोष चौबे, म०का० प्रीती सिंह, का0 राजीव यादव, का0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हे0का0 धनन्जय राय, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय, चालक राजेन्द्र कुमार व उ0नि0 दिनेश सिंह मय हे0का0 मोहित राज यादव, हे0का राजीव कुमार, का0 अरविन्द दूबे, चालक हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह।

प्रेस नोट दिनांक 14.01.2025

साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़

फेसबुक पर फर्जी अकाउन्ट बनाकर चार पहिया वाहन को मार्केट प्लेस पर बेचने के नाम पर देश भर के अनगिनत लोगो से संगठित गैंग बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।

गैंग बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश-

गिरोह का सरागना साइबर पुलिस प्रतापगढ़ के शिकंजे में-

इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दबोचा-

फेसबुक पर फर्जी अकाउण्ट बनाकर चार पहिया वाहनों को ठगों द्वारा मार्केट में बेचने के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी-

दिनांक 14.01.2025 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम साइबर थाना प्रतापगढ़ को फेसबुक पर फर्जी अकाउन्ट

बनाकर चार पहिया वाहन को मार्केट प्लेस पर बेचने के नाम पर देश भर के अनगिनत लोगो से संगठित गैंग बनाकर साइबर करने वाले ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण व अपराध का तरीकाः-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल निर्देशन में व साइबर क्राइम के जनपदीय नोडल अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के कुशल मार्गदर्शन में साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2024 धारा 319(2)/336(3)/338/340(2)/111(2) बी0एन0एस0 व 66 डी आई0 टी0 एक्ट के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की गयी। दिनांक 20.09.2024 को साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ आकर एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 16.08.2024 को वादी मुकदमा के मोबाइल के फेसबुक पर विक्रय हेतु चार पहिया वाहन बोलेरो माडल 2014 जिसका गाडी न0-UP 50 AF 5335 था, उसी विक्रय के कॉलम में विक्रेता का मोबाइल नम्बर दर्ज था। वादी मुकदमा द्वारा सम्पर्क करने पर अपना नाम कमलेश कुमार यादव सुत तिलकधारी यादव नि0ग्राम- विशौली कन्धरापुर आजमगढ़ उ0प्र0 का निवासी बताया, इसके उपरान्त वादी मुकदमा को विश्वास में लेते हुये उपरोक्त व्यक्ति द्वारा गाडी की आर0सी0 व अपना आधार कार्ड एवं फौज में सर्विस कैन्डिन कार्ड व्हाट्स उपरोक्त मोबाइल के माध्यम से वादी मुकदमा के व्हाट्सएप नम्बर पर व्हाट्स किया एवं सौदा तय हो जाने के उपरान्त उपरोक्त व्यक्ति द्वारा एन0ओ0सी0 एवं अन्य खर्चे हेतु 1,40,000/- की मांग की जिसे वादी के भाई पवन कुमार सुत माता बदल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मान्धाता से उपरोक्त व्यक्ति द्वारा दिये गये दलीलता दास के कई बार Phone Pay के माध्यम से 99,807/- रु0 प्रार्थी के भाई द्वारा भेजा गया, उसके बाद शेष धनराशि उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा दिये गये प्रशान्त कुमार महाराणा वादी मुकदमा के मित्र रवि कुमार यादव द्वारा 40,000/- रु0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामगंज बाजार से स्थानान्तरण किया गया। इसके उपरान्त उपरोक्त व्यक्ति, वादी मुकदमा से इन मो0 नम्बरो अलग-अलग से बात करता रहा था। जब वादी मुकदमा को इस बात का एहसास हो गया कि उसके साथ साइबर ठगी हो गयी है। तो अभियुक्तगणो द्वारा वादी मुकदमा से बात करना बन्द कर दिया गया। तब वादी मुकदमा द्वारा थाने आकर शिकायत की गयी। शिकायत प्राप्त होते ही साइबर क्राइम थाना अभियोग पंजीकृत करके घटना में प्रयुक्त मो0 नम्बरो बैनिफिशरी खातो का सम्बन्धित से विवरण प्राप्त करके गहन विवेचना करते हुए विवेचक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बैनिफिशरी खाते के धारक प्रशान्त कुमार महाराणा के नाम पता को तस्दीक करने व उसके अभिकथन को अंकित कराने के लिये संदिग्ध आरोपी को 35(3) BNSS की नोटिस प्रेषित की गयी। जाँच के क्रम में आज दिनांक 14.01.2025 को संदिग्ध आरोपी प्रशांत कुमार महाराणा पुत्र श्री कन्दूरीचरन महाराणा नि0 म.न. 1269/1 निकट कपसेरा साउथ वेस्ट दिल्ली 110037 भारत गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी प्रशान्त कुमार महाराणा उपरोक्त व उसके साथियो द्वारा गिरोह बनाकर फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक की अलग अलग आ0डी0 से चार पहिया वाहन को सस्ते दामो पर बेचने का विज्ञापन प्रसारित करके देशभर मे अनगिनत लोगो के साथ साइबर ठगी करके करोड़ो रुपये की ठगी की गयी है। अभियुक्त प्रशान्त कुमार महाराणा के मो0 फोन में उपलब्ध व्हाट्सएप चैटिंग व फेसबुक प्रोफाइल की गहना

से जांच करने पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त प्रशान्त कुमार महाराणा व उसके साथियो द्वारा गिरोह बनाकर संगठित साइबर अपराध किया जा रहा है। इस गिरोह के विरुद्ध अब तक कुल 05 शिकायते प्राप्त हुई है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
प्रशांत कुमार महाराणा पुत्र श्री कन्दूरीचरन महाराणा वर्तमान पता नि0 म.न. 1269/1 निकट कपसेरा साउथ वेस्ट दिल्ली 110037 भारत स्थायी पता ग्राम कठियापुड्डा पोस्ट बोड़पुड्डा थाना पट्टामुन्डाई जनपद इन्द्रापट्टा उड़ीसा

बरामदगीः-
एक अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी टीम-
निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, का0 सौरव सिंह, म0आ0 ललिता तोमर थाना साइबर प्रतापगढ़।